IPCC की AR6 सिंथेसिस रिपोर्टः

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता पर बल

द हिन्दू

पेपर-III
(पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

तत्काल जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) ने इंटरलेकन, स्विट्जरलैंड में 20 मार्च को छठे आकलन चक्र के लिए अपनी संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में "सभी के लिए रहने योग्य टिकाऊ भविष्य" के लिए "मुख्यधारा प्रभावी और न्यायसंगत कार्रवाई" के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

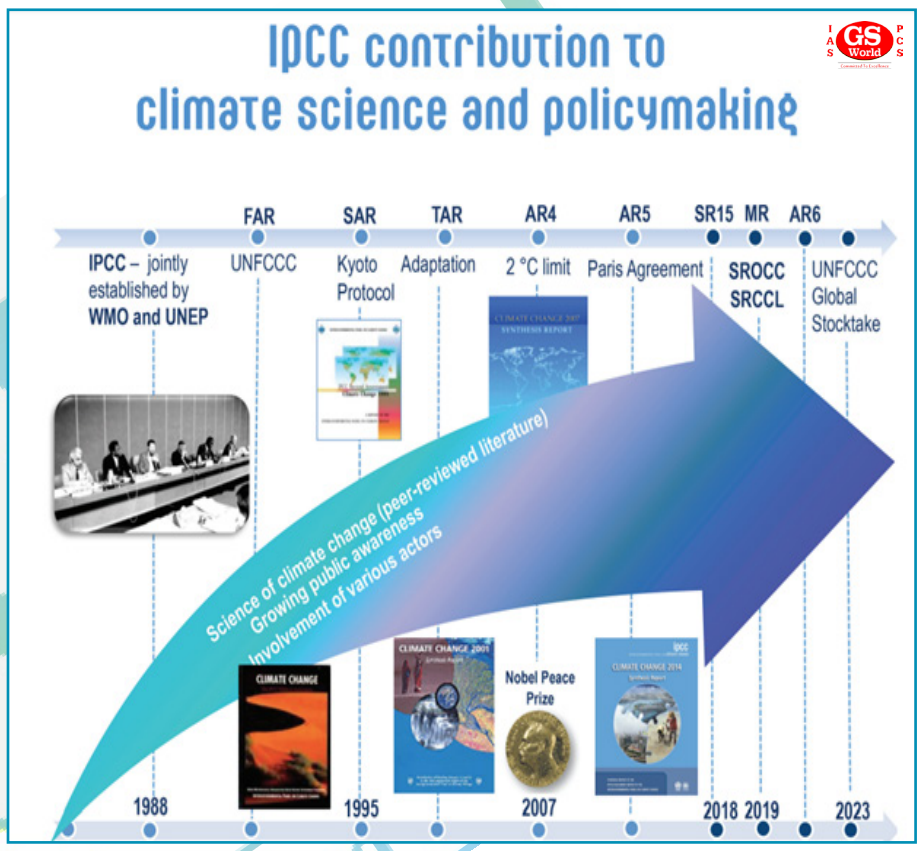

क्या कहती है रिपोर्ट?

सिंथेसिस रिपोर्ट तीन कार्यकारी समूहों (डब्ल्यूजी) के परिणामों के आधार पर आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों का संकलन है-

कार्यकारी समूहों (डब्ल्यूजी) ने जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान के आधार पर प्रभावों, अनुकूलन और भेद्यता तथा शमन का मूल्यांकन किया। रिपोर्ट में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कमी की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया है और इस तरह पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित पूर्व-औद्योगिक स्तरों से बढ़ते वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर दिया गया है।

वर्ष 2018 में आईपीसीसी की चेतावनियों के बावजूद, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि इतनी अधिक जारी रही कि वैश्विक सतह का तापमान पहले से ही पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है, जिससे चरम और अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं हो रही हैं जो मानव स्वास्थ्य, भाग्य और पारिस्थितिक तंत्र को जोखिम में डालती हैं।

तापमान में वृद्धि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं ने लोगों को खाद्य असुरक्षा और पानी की कमी के प्रति अतिसंवेदनशील बना दिया है, साथ ही कमजोर आबादी जलवायु परिवर्तन की मार का सामना कर रही है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण हुए आर्थिक नुकसान और अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए वित्तीय समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। रिपोर्ट के 93 लेखकों में से एक, अदिति मुखर्जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "जलवायु न्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन लोगों ने जलवायु परिवर्तन में कम से कम योगदान दिया है, वे अनुपातहीन रूप से प्रभावित हो रहे हैं।"

भारत के लिए क्या निहितार्थ है?

भारत की प्राथमिकता जीवन, आजीविका और जैव-विविधता के मामले में नुकसान और क्षति को कम करना और न्यायसंगत कार्रवाई और अनुकूलन में तेजी लाना होना चाहिए। "नई आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट में प्रभावों पर एक गंभीर संदेश है: वार्मिंग पहले ही 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई है, यह स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण है और प्रभाव एक विशेष तापमान पर पहले की तुलना में अधिक होने की संभावना है।

"कई संदेश उभर कर सामने आए हैं जो भारत के लिए प्रमुख है: यह 'जलवायु लचीला विकास' पर जोर देने वाले दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। यह मानता है कि विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन उस विकास की गुणवत्ता, चाहे निम्न या उच्च कार्बन विकल्पों में बंद कर दे या लचीला विकास महत्त्वपूर्ण है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जॉयश्री रॉय और रिपोर्ट के लेखकों में से एक ने कहा कि एक विकासशील देश के रूप में, भारत लगभग हर क्षेत्र में पहले से ही लागू की जा रही ऊर्जा दक्षता नीतियों के माध्यम से अपने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम कर सकता है। हालांकि, यह सौर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ विकल्पों का उपयोग करके ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज भी कर सकता है।

क्या है IPCC, क्यों अहम इसकी रिपोर्ट?

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य में आने वाले इनके खतरों का आकलन करती है साथ ही, इससे होने वाले नुकसान को कम करने और दुनिया के तापमान को स्थिर रखने के विकल्पों को भी सुझाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 1988 में इसे स्थापित किया था। यह संगठन जलवायु परिवर्तन पर कुछ-कुछ साल में रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इसकी समीक्षा करते हैं और सर्वसम्मति से मंजूरी देते हैं। स्विट्जरलैंड के इंटरलेकन में इसी रिपोर्ट की समीक्षा चल रही है। इस रिपोर्ट से नीति निर्माताओं को भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है।

सिंथेसिस रिपोर्ट के तीन सेक्शन हैं :-

1. पहला 'फिजिकल साइंस ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस', इसमें पूरी दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी की डिटेल है।
2. दूसरा 'इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस' यानी जलवायु संकट के नुकसान।
3. तीसरा 'हाउ टू एडाप्ट टू देम' यानी इनसे बचाव के तरीके।

अब तक कितनी समीक्षा रिपोर्ट?

IPCC की 5वीं समीक्षा रिपोर्ट 2014 में आई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर पेरिस क्लाइमेट समिट में तय हुआ था कि इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना है। यह 6वीं रिपोर्ट है। इसमें फरवरी 2015 से लेकर अब तक के 8 वर्षों की रिपोर्ट का सारांश यानी सिंथेसिस रिपोर्ट होगी। इसमें 2018 से आई सभी रिपोर्टों की अहम बातों को समाहित किया जाएगा। यही समीक्षा रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर आगे होने वाली चर्चाओं का आधार बनेगी।

IAS GS World PCS
Committed To Excellence

आगे का रास्ता

रिपोर्ट जलवायु अनुकूल विकास का सुझाव देती है जो न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेगा बल्कि व्यापक लाभ भी प्रदान करेगा। स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच, वायु गुणवत्ता में सुधार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना और इक्विटी प्रदान करना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करने के लिए रिपोर्ट के अनुशंसित लक्ष्यों में से एक है। रिपोर्ट ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय निवेश की भूमिका को भी रेखांकित किया और केन्द्रीय बैंकों, सरकार और वित्तीय नियामकों के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने, जलवायु लचीलापन बढ़ाने और हाशिए के समुदायों की रक्षा के लिए सार्वजनिक धन को प्रोत्साहित किया है।

क्या है पेरिस समझौता?

वर्ष 2014 की पेरिस क्लाइमेट समिट में तय किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की हर कोशिश करनी होगी। आगे चलकर वार्मिंग की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का लक्ष्य था। लेकिन IPCC की 2018 की रिपोर्ट में दिखने लगा था कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का जो लक्ष्य तय किया गया है, यह कहीं तेजी से इस सीमा को लांघने वाला है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग 1.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुकी है। बहुत मुमकिन है कि पांच साल में यह 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को भी पार कर जाएगी।

मुद्दे जिन पर असहमति है?

ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में जीवाश्म ईंधन- जैसे डीजल-पेट्रोल का अहम योगदान है। लेकिन इनके प्रयोग को धीरे-धीरे खत्म करने पर सहमति नहीं बन पा रही है। हाल की मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि यूरोप 2050 तक जीवाश्म ईंधन को खत्म करने की वैश्विक प्रतिबद्धता पर जोर दे सकता है।

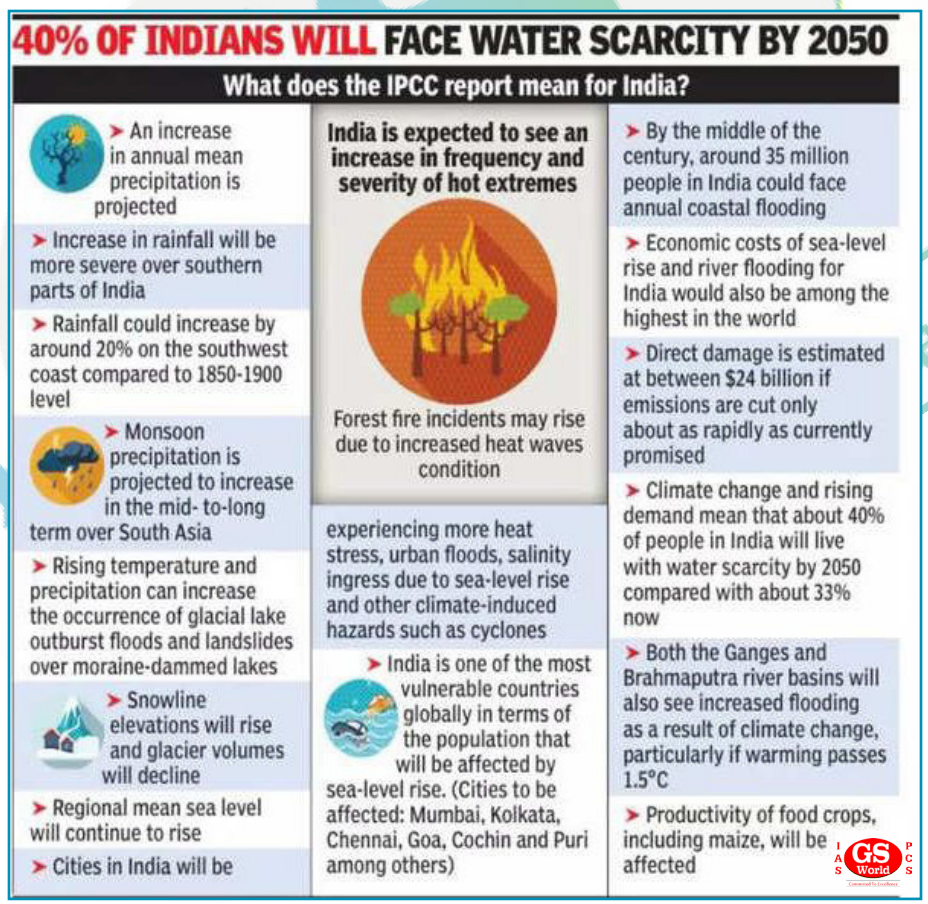

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य में आने वाले इनके खतरों का आकलन करती है।
2. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) को विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से-सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements–

1. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the body of the United Nations that assesses the impact of climate change and its future threats.
2. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established by the World Meteorological Organization and the United Nations Environment Program in the year 1988.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट को महत्वपूर्ण क्यों समझा जा रहा है तथा यह रिपोर्ट भारत के लिए क्या निहितार्थ रखता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट के बारे में बताएं- विषय/कैसे/कब/महत्व इत्यादि।
- ❖ यह रिपोर्ट भारत के लिए क्या निहितार्थ रखती है बताएं।
- ❖ भविष्य की गंभीरता को ध्यान में रख कर निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।